संख्या-4/2016/131/18-2-2016-88(ल0उ0)/2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग
उत्तर प्रदेश कानपुर।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 19 फरवरी, 2016

विषय-उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 का प्रख्यापन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 में प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिये आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0 के पत्र संख्या-770/एमएसएमई(हस्त0)/15-16, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 निम्नवत हैः-

**2.1-प्रस्तावना**

उत्तर प्रदेश अपनी उर्वरा भूमि, कृषि, बागवानी आधारित कच्चे माल, कुशल मानव संशाधन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ की गंगा-यमुनी संस्कृति, पारम्परिक हस्तशिल्प तथा बहुआयामी सहिष्णु वातावरण सभी को आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम(एम0एस0एम0ई0) इकाईयों की संख्या के दृष्टिकोण से देश में तीसरा स्थान है तथा छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार रोजगार प्रदान करने में इस क्षेत्र का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने तथा रोजगार सृजन करने के लिये आवश्यक है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) को बढ़ावा दिया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**2.2-दृष्टिकोण**

प्रदेश के सामर्थ्य का संतुलित तथा अनुकूलतम उपयोग करते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जीवन शैली के रूप में अपनाने हेतु अनुकूल वातावरण सृजित कर, स्थापित उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखते हुये एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देते हुये नये उद्यमों को लगवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जायेगा।

**2.3-उद्देश्य**

(1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) की वार्षिक विकास दर 12 प्रतिशत रखी जायेगी।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम0एस0एम0ई0) हेतु विभाग सुगमता प्रदाता (Facilitator) की भूमिका का निर्वहन करेगा।

(3) जिला उद्योग केन्द्रों को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा।

(4) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम0एस0एम0ई0) के लिये ई-गर्वनेन्स का समुचित उपयोग किया जायेगा।

(5) प्रदेश के आर्थिक विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जायेगा।

(6) प्रदेश मे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र (एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र) मे महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांग जनों की भागीदारी को बढ़ाया जायेगा।

(7) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम0एस0एम0ई0) को ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर किया जायेगा।

(8) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम0एस0एम0ई0) मे तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा दिया जायेगा।

(9) स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) क्षेत्रों में गुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाये रखने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(10) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जायेगा।

(11) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को रूग्णता से बचाने के लिए सार्थक पुनरूद्धार के ससमय प्रयास किये जायेंगे।

(12) प्रदेश में उपयुक्त औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उच्चीकरण किया जायेगा।

उपर्युक्त दृष्टिकोण को मूर्तरूप देने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नवत् रणनीति अपनाते हुये गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**2.4-रणनीति एवं गतिविधियाँ -**

**2.4.1-अवस्थापना सुविधायें**

(1) स्थापित औद्योगिक आस्थानों एवं क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उच्चीकरण अवस्थापना विकास निधि, व्यापार विकास निधि एवं अन्य स्रोतों से कराया जायेगा।

(2) नये औद्योगिक आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं सहयोग से विकसित किया जायेगा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधीन कार्यरत प्राधिकरणों तथा राजकीय निगमों के द्वारा इस निमित्त सहयोगी की भूमिका निर्वहन की जायेगी।

(3) प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपलब्ध अनुपयुक्त भूमि का औद्योगिक आस्थानों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु उपयोग किया जायेगा।

(4) आवश्यकतानुसार औद्योगिक आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एफ्लुऐन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (Effluent Treatment Plant), कामन एफ्लुऐन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (Common Effluent Treatment Plant) तथा सामान्य सुविधा केन्द्र (Common Facility Centre) लगाने हेतु विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(5) स्थानीय निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का उचित मूल्य संवर्द्धन करने तथा पैकेजिंग आदि के लिये कामन फैसेलिटी सेन्टर मण्डी परिषद द्वारा निधि की उपलब्धता को देखते हुये एवं मण्डी समिति की आवश्यकताओं व इसकी उपयोगिता का आंकलन कराते हुये मण्डी स्थलों में स्थापित किये जायेंगे।

(6) ऐसे औद्योगिक क्षेत्र तथा आस्थान जिनके द्वारा 132 केवी या उससे उच्च विभव के उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति प्राप्त की जाती है उनको निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

**2.4.2- तकनीकी सहायता**

(1) इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाईन, उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ किया जायेगा तथा लखनऊ में इन्सटीट्यूट ऑफ डिजाईन का नया कैम्पस विकसित किया जायेगा।

(2) एम0एस0एम0ई0 के तीव्र विकास हेतु क्लस्टर अप्रोच के अन्तर्गत उद्यमियों के उत्पादों, प्रक्रियाओं आदि की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग हेतु एक्रीडेटेड टेस्टिंग सेन्टर्स की स्थापना करायी जायेगी।

(3) एम0एस0एम0ई0 इन्क्यूवेशन सेन्टरों की स्थापना तकनीकी तथा प्रबन्धकीय संस्थानों में कराई जायेगी।

(4) प्रदेश में नई तकनीकी एवं डिजाइनों को उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाईयों को उनके द्वारा तकनीकी उन्नयन पर किये गये निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 10.00 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा तकनीकी संस्थाओं, रिसर्च सेन्टर, इंजीनियरिंग कालेज व कन्सल्टेन्ट्स आदि के माध्यम से एम0एस0एम0ई0 सेक्टर को सकारात्मक सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उनके द्वारा वांछित सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगीं।

(7) एम0एस0ई0 (माइक्रो एवं स्माल इण्टरप्राइजेज) को आवश्यकतानुसार हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट हेतु सक्षम तकनीकी संस्थाओं/प्रबन्धन संस्थानों/औद्योगिक संगठनों/गैर सरकारी संस्थाओं/ उद्यमी मित्रों से उनकी इच्छा के अनुरूप सम्बद्ध कराकर इकाईयों के संचालन में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(8) निदेशालय स्तर पर सूचना तकनीकी का समुचित लाभ प्राप्त करने के लिये सूचना तकनीकी सेल (Information Technology Cell) का गठन किया जायेगा।

**2.4.3- वित्तीय सहायता**

(1) सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये युवा स्वःरोजगार योजना संचालित की जायेगी जिसके अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र के लिये अधिकतम सीमा रू0 6.25 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र के लिये रू0 10.00 लाख तक की परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू0 2.50 लाख तक मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(2) प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं कार्यशील पूँजी हेतु साख सीमा लेने पर 0.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला पंजीकरण शुल्क समाप्त किया जायेगा।

(3) प्रदेश के जिलों को ए, बी, सी श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये क्रमशः विकसित, विकासशील तथा अल्पविकसित जिलों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जायेगा एवं बी तथा सी श्रेणी हेतु ब्याज उपादान की सुविधा नये उद्योगों में निम्नवत् उपलब्ध करायीं जायेगीं-

(1) बी श्रेणी-इन जनपदों में बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) सी श्रेणी-इस श्रेणी के जिलों में बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिये गये ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**2.4.4-विपणन सहायता**

(1) एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में विपणन को बढ़ावा देने के लिये एम0एस0एम0ई0-पोर्टल की स्थापना की जायेगी जिसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा।

(2) प्रदेश की क्रय नीति का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जायेगा।

(3) एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की ईकाइयों के लिए बायर-सेलर मीट आयोजित की जायेंगी ।

(4) राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में विश्व व्यापार संगठन (डब्लू0 टी0 ओ0) सेल का गठन किया जायेगा।

(5) प्रदेश की बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित करने के लिए प्रदेश स्तर पर निजी क्षेत्र के सहयोग से इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स फैसिलिटेशन (Intellectual Property Rights) सेल का गठन किया जायेगा। उक्त सेल के द्वारा इस विषय में प्रचार-प्रसार, सेमिनार आदि का आयोजन किया जायेगा।

(6) प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निजी क्षेत्र के सहयोग से सोर्सिंग हब तथा मार्केटिंग हब विकसित किये जायेंगें। इस प्रयोजन से कार्य करने वाली संस्थाओं (एजेन्सी) को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रू0 10.00 करोड़ अनुदान के रूप में देय होगा।

(7) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (Public Private Partnership) के आधार पर देश तथा विदेश में निर्यात प्रोत्साहन हब विकसित किये जायेंगे।

**2.4.5-मानव संसाधन विकास**

(1) प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर एवं सहयोग लेकर उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित कराये जायेगें जो कि उद्यमियों की नर्सरी का काम करेगें।

(2) प्रदेश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने के लिये राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय संस्थाओं जैसे उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, (Science And Technology Entrepreneurship Park) स्टेप आदि का विशेष सहयोग लिया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश के उद्यमों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये उद्यमों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास मिशन से समन्वय कर संचालित कराये जायेंगे।

(4) इण्टरमीडिएट (Intermediate) पाठ्यक्रम में उद्यमिता विकास विषयक अद्यावधिक जानकारी दी जायेगी।

**2.5-महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु सुविधायें**

(1) उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधीन औद्योगिक आस्थानों, क्षेत्रों में अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत, महिलाओं हेतु 5 प्रतिशत, विकलांगों हेतु 2 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु 3 प्रतिशत भूखण्ड प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किये जायेगें।

(2) अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के 10 प्रतिशत, विकलांगों हेतु 2 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु 3 प्रतिशत उद्यमियों को ब्याज उपादान विषयगत योजना के अधीन प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा।

(3) वर्तमान में प्रचलित महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना को बिन्दु संख्या 2.4.3(3) में सम्मिलित करते हुये 20 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं हेतु किया जायेगा।

**2.6-प्रदूषण नियंत्रण**

(1) क्लस्टर एप्रोच के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार की योजनाओं का सहयोग लेते हुये आवश्यकतानुसार प्रदेश सरकार सहायता प्रदान कर प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही करायेगी।

(2) प्रदूषण रहित उद्यमों की सूची तैयार कर मिश्रित उपयोग वाले स्थानों पर स्थापित करने को अनुमन्य कराया जायेगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित प्राधिकरणों के भवन उपविधि व विनियमावलियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 220 गैर प्रदूषणकारी उद्यमों की सूची को पुनरीक्षित कराया जायेगा।

(3) प्रदूषित जल तथा प्रदूषित वायु उत्प्रवाह न करने वाले तथा ध्वनि प्रदूषण न करने वाले उद्यमों/सेवा क्षेत्र के उद्यमों को मिश्रित उपयोग वाले स्थानों में स्थापित करने को अनुमन्य कराया जायेगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित प्राधिकरणों के भवन उपविधि व विनियमावलियों का अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।

**2.7-अन्य**

(1) उद्यमियों के लिए सेल्फ सर्टीफिकेशन को बढ़ावा दिया जायेगा।

(2) प्रदेश में स्थापित उद्यमों के भू-उपयोग को यथा संभव औद्योगिक घोषित कराया जायेगा।

(3) एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम कराये जायेगें।

(4) जिला उद्योग केन्द्रों को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा जो कि उद्यमियों के लिये सलाहकार एवं मार्गदर्शक के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। प्रथम चरण में चुनिन्दा जिला उद्योग केन्द्रों को माडल जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के रूप मे विकसित किया जायेगा।

(5) जिला स्तरीय उद्यमी सुरक्षा फोरम को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में रेखांकित सभी रियायतें और सुविधायें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी नियमानुसार अनुमन्य होंगी।

(7) प्रदेश में विभिन्न नीतियों जैसे उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012, जैव ऊर्जा नीति, आई0टी0 नीति, बायो-टेक्नालाजी नीति, आदि नीतियां प्रभावी हैं। एक ही मद में विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं में से एक उद्यम को एक ही नीति के अन्तर्गत सुविधा अनुमन्य होगी।

(8) पब्लिक फण्डेड तकनीकी एवं शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की तकनीकी समस्याओं पर शोध कार्य सम्पादित करने, उद्यम हेतु लाभप्रद उत्पादों एवं तकनीकी संबंधी शोध परिणामों की जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उपलब्ध कराने हेतु समन्वय किया जायेगा तथा ऐसी संस्थाओं के तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को रिसोर्स व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

**2.8-अनुश्रवण**

(1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग होंगें।

(2) इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा सुसंगत शासनादेश निर्गत किये जायेगें।

(3) शासन स्तर पर नीति के क्रियान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

3- कृपया उपर्युक्त नीति का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2016/131/18-2-2016-88(ल030)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम /द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।

8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

आर0 ए0 सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।